

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972¹

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 1977 तथा संख्या 12 सन् 1978 द्वारा संशोधित)

बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रसार—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2. परिभाषाएँ—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—

(क) “नियत दिनांक” का तात्पर्य उस दिनांक से है जब परिषद् स्थापित की जाय;

(ख) “बेसिक शिक्षा” का तात्पर्य हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कालेजों से भिन्न स्कूलों में आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शिक्षा से है और पद “बेसिक स्कूल” का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा;

(ग) “परिषद्” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है;

(घ) “निदेशक” तथा “जिला बेसिक शिक्षा-अधिकारियों” का तात्पर्य क्रमशः शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से है;

(ङ) “स्थानीय निकाय” का तात्पर्य जिला परिषद् अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगर पालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी, जैसी भी दशा हो, से है।

3. परिषद् का संगठन—(1) ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना² द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् स्थापित की जायगी।

(2) परिषद् शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निर्गमित निकाय होगी, तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसे सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने की शक्ति होगी और अपने नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

1. उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 अगस्त, 1972 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने 4 अगस्त, 1972 की बैठक में स्वीकृत किया।

¹ भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 अगस्त, 1972 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 अगस्त, 1972 को प्रकाशित हुआ।

2. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 6088/15-(5)-72-150-72, दिनांक 25 जुलाई, 1972 द्वारा एक ऐसा दिनांक नियुक्त किया गया जब से परिषद् 30 प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के रूप में जाना जायेगा।

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (क) निदेशक, पदेन, जो अध्यक्ष होगा।
- (ख) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला-परिषदों के अध्यक्षों में से, यदि कोई हों, नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे,
- (ग) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संगठित महापालिकाओं के नगर प्रमुखों में से, यदि कोई हों, नाम निर्दिष्ट किया जायगा;
- (घ) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेन्टों में से, यदि कोई हों, नाम निर्दिष्ट किया जायगा;
- (ङ) सचिव, राज्य सरकार, वित्त-विभाग पदेन;
- (च) प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान, पदेन ;
- ¹(च-1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद, पदेन;
- (च-2) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, पदेन;
- (छ) दो शिक्षाविद् , जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (ज) एक अधिकारी, जिसका पद उपनिदेशक शिक्षा के पद से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, और जो सदस्य-सचिव होगा;

(4) उपधारा 3 के खण्ड (ङ) के अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने विभाग के किसी अधिकारी को, जिसका पद राज्य सरकार के उपसचिव के पद से कम न हो, बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा तथा उसे मत देने का भी अधिकार होगा।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् के सदस्यगण सामान्यतया नियुक्ति-आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करने के हकदार होंगे, जब तक राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति पहले ही समाप्त न कर दी जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, किसी सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है।

(6) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के दौरान बने रहे सदस्य कार्य कर सकते हैं मानो कोई रिक्ति न हुई हो।

(7) परिषद् के संगठन में केवल किसी रिक्ति या किसी दोष होने के कारण परिषद् का कोई कार्य अथवा कार्यवाही अविधिमान्य न समझी जायेगी।

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 21, सन् 1975 की धारा 16 द्वारा बढ़ाया गया।

4. परिषद् के कृत्य—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का कृत्य राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिये अध्यापक-प्रशिक्षण दिये जाने को संगठित करना, उसका समन्वय करना तथा उस पर नियंत्रण करना, और उसके स्तर को ऊँचा उठाना तथा उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध करना होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् को विशेषतया, निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी :

- (क) बेसिक शिक्षा और उस हेतु अध्यापक प्रशिक्षण के लिये संशिक्षण-क्रम तथा पुस्तकें विहित करना;
- (ख) जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं का संचालन करना जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर उसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभ्यर्पित करे और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना;
- (ग) जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्तर मापक निर्धारित करना तथा उक्त संस्थाओं द्वारा संशिक्षण प्रदान करने और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश दिलाने के लिए परीक्षार्थियों को तैयार करने के सम्बन्ध में उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना;
- (ग ग) उन सभी बेसिक स्कूलों का प्रबन्ध लेना जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे। प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विहित संशिक्षण-क्रम और पुस्तकें और मान्यता प्राप्त संस्थाएँ इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा विहित या मान्यता प्राप्त समझी जायेगी।
- (घ) बेसिक स्कूलों, नार्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्थान का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियन्त्रण रखना।
- (ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार या/सुधार और उसमें अनुसंधान के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर बेसिक शिक्षा समिति द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का (परिष्कार सहित या रहित) अनुमोदन करना;
- (च) किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना या निस्तारण करना और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना;
- (छ) राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता और ऋण प्राप्त करना;
- (छ-1) जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों पर इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्पादन में अधीक्षण रखना और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए समितियों को निदेश देना, जो ऐसी समितियों पर बन्धनकारी होंगे;
- (छ-2) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिसे परिषद् उचित समझे (जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों के सदस्यों में से) उपसमितियों का गठन करना;

(ज) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो;

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन बेसिक स्कूलों का, जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय के थे, प्रबन्ध, और नियन्त्रण करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसे स्कूलों के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय की शक्ति और कृत्य परिषद् को अन्तरित हो जायेंगे।

5. परिषद् का कार्य-संचालन—(1) परिषद् और धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा धारा 11 में अभिदिष्ट गाँव शिक्षा-समिति का कार्य ऐसे विनियमों के अनुसार संचालित किया जायगा जिन्हें परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से तदर्थ बनाये।

(2) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) परिषद् अथवा उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी समिति की बैठकें बुलाना और करना, ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन और ऐसी बैठक में गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद् के अध्यक्ष और सचिव तथा अन्य अधिकारियों की शक्ति और कर्तव्य;

(ग)। [* * *]

(घ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् या किसी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया।

(ङ) परिषद् द्वारा धृत अथवा उसके नियन्त्रणाधीन स्कूलों और अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा कोई विनियम न बनाया जाय, कोई विनियम, जो उक्त उपधारा के अधीन बनाया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये विनियम में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे विखंडित कर सकती है।

6. परिषद् के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ, परिषद् उतने अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।

(2)। [* * *]

(3)² [* * *]

7. परिषद् की निधि—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियाँ उसमें जमा की जायेगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेगे।

1. उ० प्र० अधिनियम 12, सन् 1978 की धारा 23 द्वारा निकाली गयी।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, सन् 1975 की धारा 15 द्वारा निकाली गयी।

(2) राज्य-सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए परिषद् को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर अथवा प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

(8) लेखा तथा लेखा-परीक्षा—(1) परिषद् उचित लेखा तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, वार्षिक लेखा विवरण-पत्र तैयार करेगी।

(2) परिषद् एक वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (बजट) तैयार करेगी और उसे राज्य-सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे अधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(4) लेखा-परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन राज्य-सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

9. कर्मचारियों का स्थानान्तरण—(1) नियत दिनांक को, ओर से, केवल बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में किसी स्थानीय निकाय के अधीन उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व कार्यरत प्रत्येक अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, जिसके अन्तर्गत कोई पर्यवेक्षी या निरीक्षण कर्मचारी वर्ग भी है, परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे और वे परिषद् के अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेंगे और वे उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे धारण करते यदि परिषद् संगठित न की गयी होती और वे तब तक इसी प्रकार बने रहेंगे जब तक कि ऐसी अवधि पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निर्बन्धनों और शर्तों में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा परिवर्तन न कर दिया जायः।

प्रतिबन्ध यह है कि नियत दिनांक के पूर्व किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा स्थानीय निकाय के अधीन की गई कोई सेवा परिषद् के अधीन की गयी सेवा समझी जायेगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् इसे अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों का सम्पादन करने के लिए, जिन्हें वह उचित समझे, किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कार्य ले सकती है और प्रत्येक ऐसा अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी उन कृत्यों का तदनुसार सम्पादन करेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे अध्यापक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी पर लागू न होगी जो नियत दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार की तदर्थ लिखित नोटिस द्वारा परिषद् का कर्मचारी न होने के लिए अपना विकल्प सूचित कर दे, और यदि कोई कर्मचारी ऐसी नोटिस देता है तो स्थानीय निकाय के अधीन सेवा नियत दिनांक से समाप्त हो जायेगी और वह स्थानीय निकाय से प्रतिकर का हकदार, जो निम्नलिखित होगा;

(क) स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके तीन माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, सन् 1978 की धारा 25 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) अस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसके एक माह की अवधि या उसकी सेवा की शेष अवधि, जो भी कम हो, के लिए वेतन (जिसके अन्तर्गत सभी भत्ते भी हैं) के बराबर धनराशि।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उसमें अभिदिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् का कर्मचारी हो जाय, ऐसे स्कूल अथवा स्थानीय क्षेत्र से, जिसमें वह नियत दिनांक के तत्काल पूर्व सेवायोजित था, परिषद् के किसी अन्य स्कूल या संस्था अथवा यथास्थिति, किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र को उसी पारिश्रमिक तथा सेवा के उन्हीं निर्बन्धनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के तत्काल पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।¹ [जब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमों द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य शर्तों में परिवर्तन न कर दिया जाय]:

प्रतिबन्ध यह है कि² [बेसिक स्कूल के जो नियत दिनांक के पूर्व स्थानीय निकाय थे] किसी अध्यापक को किसी अन्य स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूल में स्थानान्तरण, सिवाय उसकी सहमति के नहीं किया जायेगा।

(4) यदि इसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की सेवा उपधारा (1) के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित हुई या नहीं अथवा नियत दिनांक के तत्काल पूर्व ऐसे कर्मचारी के पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निर्बन्धनों एवं शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न उठे तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

(5) उपधारा (1) में अभिदिष्ट कर्मचारियों के लिए किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित कोई भविष्य-निधि, ऐसे कर्मचारियों तथा स्थानीय निकाय के भी सम्पूर्ण अंशदान सहित, जिसे नियत दिनांक के पूर्व जमा किया जाना चाहिये था, किन्तु जमा न किया गया हो, स्थानीय निकाय द्वारा परिषद् को अन्तरित की जायगी जिसे वह ऐसी निधि को नियंत्रित करने वाले निर्बन्धनों तथा शर्तों के अनुसार सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए न्यास के रूप में रखेगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की सेवाओं को परिषद् में स्थानान्तरित किये जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

10. जिला बेसिक शिक्षा समितियाँ—(1) प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये एक समिति स्थापित की जायगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्—

- (क) अध्यक्ष, जिला परिषद्, पदेन, जो समिति का अध्यक्ष होगा,
- (ख) तीन व्यक्ति जो जिला परिषद् के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (ग) अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन), पदेन;
- (घ) जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, पदेन

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5 सन् 1977 की धारा 27 द्वारा अन्तर्विष्ट।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5 सन् की धारा 27 द्वारा अन्तर्विष्ट।

(ड) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन;

(च) अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), यदि कोई हो, और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उपनिरीक्षक, पदेन;

(छ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन जो समिति का सदस्य-सचिव होगा;

(ज) विद्यालय उपनिरीक्षक, जो समिति का सहायक सचिव होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्य ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(3) जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद् के अधीक्षण और निदेशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्—

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना;

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार तथा सुधार के लिये योजनाएँ तैयार करना।

10।-क. नगर बेसिक शिक्षा समितियाँ—(1) प्रत्येक नगर महापालिका, नगरपालिका नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के लिए एक समिति स्थापित की जायगी जो नगर बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) महापालिका का नगर प्रमुख, यथास्थिति, नगर पालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी का प्रेसीडेन्ट, पदेन जो अध्यक्ष होगा;

(ख) तीन से अनधिक व्यक्ति जो यथास्थिति, महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों में से राज्य-सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन;

(घ) जिला बेसिक-शिक्षा अधिकारी, पदेन;

(ड) सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उपनिरीक्षक, पदेन,

(च) सर्किल की अधिकारितायुक्त बालिका विद्यालय सहायक निरीक्षिका, पदेन;

(छ) अधीक्षिका, बालिका शिक्षा, यदि कोई हो, पदेन;

(ज) शिक्षा अधीक्षक, यदि कोई हो, और यदि ऐसा कोई अधिकारी न हो तो सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उपनिरीक्षक, पदेन, सदस्य सचिव।

(2) धारा 10 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित नगर बेसिक शिक्षा समिति पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जिला बेसिक शिक्षा समिति को लागू होते हैं।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, सन् 1975 की धारा 19 द्वारा रखा गया।

11. गाँव शिक्षा समितियाँ—(1) प्रत्येक गाँव या गाँव-समूह के निमित्त, जिसके लिये यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन गाँव सभा स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायगी जो गाँव शिक्षा समिति कहलायेगी। और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

- (क) गाँव सभा का प्रधान जो अध्यक्ष होगा;
 - (ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिनमें से एक संरक्षक महिला होगी) जो विद्यालय अवर उपनिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;
 - (ग) उस गाँव या गाँव समूह में बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक, और यदि एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम, जो उसका सदस्य सचिव होगा।
- (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति—
- (क) बेसिक स्कूल के भवनों और उनके उपस्करों में सुधार करने के लिए 1[जिला बेसिक शिक्षा] समिति को सुझाव देगी; और
 - (ख) ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करेगी और अध्यापकों द्वारा समय पालन किये जाने तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देगी।

12. बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण—(1) निदेशक किसी बेसिक स्कूल 2[* * *] और बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय के कृत्यों का समाधान करने वाले अथवा उससे सम्बद्ध स्थानीय निकाय के अभिलेखों और उसकी कार्यवाहियों का भी समय-समय पर निरीक्षण कर सकता है अथवा निरीक्षण करा सकता है।

3[(2) निदेशक किसी बेसिक स्कूल के प्रबन्धाधिकरण को निरीक्षण करने पर या अन्य प्रकार से पाये गये किसी दोष या कमी को दूर करने का निर्देश दे सकता है।]

(3) यदि बेसिक स्कूल का प्रबन्धाधिकरण उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक, प्रबन्धाधिकरण द्वारा किये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिये मामला परिषद् को निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) किसी बेसिक स्कूल के सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर परिषद् उस स्कूल की मान्यता वापस ले सकती है।

4[12-क (1) जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी बेसिक स्कूल का निरीक्षण करने तथा ऐसे निरीक्षण के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे जिला परिषद् के अध्यक्ष को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करने की शक्ति होगी।]

(2) यथास्थिति, महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के प्रत्येक सदस्य को उस स्थानीय निकाय, जिसका वह सदस्य हो, की सीमा में स्थित किसी बेसिक

-
1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1975 की धारा 20 द्वारा रखा गया।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, सन् 1977 की धारा 28 (1) द्वारा निकाला गया।
 3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, सन् 1977 की धारा 28 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, सन् 1977 की धारा 21 द्वारा बढ़ाया गया।

स्कूल का निरीक्षण करने तथा ऐसे निरीक्षण के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसी स्थानीय निकाय के यथास्थिति, नगर प्रमुख अथवा प्रेसीडेन्ट को निरीक्षण टिप्पणी करने की शक्ति होगी।]

13. राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण—(1) परिषद् ऐसे निदेशों का कार्यान्वयन करेगी जो उसे इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा अपनी किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में या प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में और अपने किन्हीं कृत्यों के सम्पादन में अथवा सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में परिषद् और राज्य सरकार के बीच अथवा परिषद् और किसी स्थानीय निकाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम तथा, यथास्थिति, परिषद् या स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

(3) परिषद् या कोई स्थानीय निकाय राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियाँ तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करेगी जिनकी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अपेक्षा करे।

14. प्रत्यायोजन की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई शक्ति ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो निर्दिष्ट की जाय, निदेशक अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि विनियमों को बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रत्योक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष या ऐसी समिति अथवा अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है।

15. सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण—राज्य सरकार या परिषद् अथवा उसका किसी समिति या परिषद् के अथवा किसी समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य शक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

16. न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिषद् अथवा उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

17. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसरानुकूल, गजट से अधिसूचना द्वारा ऐसे अनुषांगिक या परिणामिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अथवा किसी ऐसे अधिनियमित के जिसके द्वारा अथवा अधीन कोई स्थानीय निकाय संगठित हो, किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का भी उपबन्ध है, जिनसे तत्त्व पर प्रभार न पड़ता हो, और जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इष्टकर बना सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश [31 दिसम्बर, 1977]¹ के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

1. विज्ञप्ति सं० 2426/स6ह-पांच-88-72, दि० 25 जुलाई 1973 देखिए।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

18. स्थानीय निकायों से सम्बन्धित अधिनियम का संशोधन—(1) नियत दिनांक से, उपधारा (2) और (3) में उल्लिखित अधिनियमितियाँ उक्त धाराओं में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में, धारा 43 में, उपधारा (2) में, शब्द "अध्यापकों के तथा" निकाल दिये जायें और उपधारा (3) में खण्ड (क) निकाल दिया जाय और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "यथास्थिति शिक्षा चुनाव समिति या चुनाव समिति" के स्थान पर शब्द "चुनाव समिति" रख दिये जायें।

(3) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में—

(क) धारा 68 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

“(1) बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा अपने प्राविधिक विभागों के मुख्य अधिकारी जैसे सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत अभियन्ता, सहायक विद्युत अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता या ओवर सियर तथा जहाँ पहले से कोई कार्यपालक अधिकारी हो, सचिव की नियुक्ति कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर करेगा।”

(ख) बेसिक स्कूलों के सम्बन्ध में धारा 73 लागू न होगी।

(ग) अनुसूची 1, में स्तम्भ 2 में, धारा 68 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्—

“सिविल अभियन्ता, सहायक सिविल अभियन्ता, विद्युत अभियन्ता, सहायक विद्युत अभियन्ता, जल-कल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता, ओवरसीयर, अर्हता प्राप्त ओवरसीयर या सब अथवा सचिव नियुक्ति करना।”

18-क. कतिपय भवनों के सम्बन्ध में परिषद् का किरायेदार होगा—(1) जहाँ किसी भवन या उसके भाग पर किसी स्थानीय निकाय का किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिये नियत दिनांक पर किरायेदार के रूप में अध्यासन हो, वहाँ ऐसे भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में किरायेदारी, उक्त दिनांक से परिषद् के पक्ष में अन्तरित हो जायगी।

(2) जहाँ किसी स्थानीय निकाय के किसी भवन या उसके भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजनों के लिये नियत दिनांक पर स्थानीय निकाय का अध्यासन था, वहाँ परिषद् उक्त दिनांक से ऐसे भवन या भाग के सम्बन्ध में, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, स्थानीय निकाय की ओर से लाइसेन्सधारी हुआ समझा जायगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा, पट्टा या अन्य संलेख, या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

119. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये उपबन्ध बनाया जा सकता है, अर्थात्—

- (क) धारा 6 के अधीन अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती, और उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें;
- (ख) धारा 9 के अधीन परिषद् को स्थानान्तरित अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;
- (ग) परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती और उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें;
- (घ) कोई अन्य विषय जिसके लिये अधिनियम में अपर्याप्त उपबन्ध है और राज्य सरकार द्वारा नियमों में उपबन्ध बनाना आवश्यक समझा जाय;
- (ङ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या किया जा सकता है।

20. उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, 1972 का निरसन—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

1. अधिनियम संख्या 12, सन् 1978 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।